भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 782

04 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न वितरण और पीडीएस का डिजिटलीकरण

782. श्री राजू बिष्ट:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2019 से पश्चिम बंगाल को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि और राशन का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2019 से पश्चिम बंगाल में विशेषकर दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों में जारी राशन और मात्रा का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल में विशेषकर दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों में पीडीएस डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा आधार लिंकेज, प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन कार्ड की अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी और ई-पीओएस की शुरुआत जैसे उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दूरस्थ चाय बागानों और गांवों, विशेषकर दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जैसे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्न की अंतिम छोर तक प्रदायगी में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) उन राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है जिन्होंने विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) पद्धति (पश्चिम बंगाल सहित) को चुना है, ताकि भारत सरकार द्वारा आवंटन के अनुसार केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा सके। आर्थिक लागत और केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) के बीच का अंतर, जिस पर राज्यों को खाद्यान्न जारी किया जाता है, खाद्य सब्सिडी के रूप में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और डीसीपी राज्यों को प्रतिपूर्ति किया जाता है। डीसीपी राज्यों और एफसीआई को जारी की जाने वाली खाद्य सब्सिडी वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार होती है। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यवार निधि आवंटित नहीं की जाती है। साथ ही, पश्चिम बंगाल सरकार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्नों के अंतरराज्यीय संचलन और हैंडलिंग तथा लाभार्थियों को वितरित खाद्यान्नों पर उचित दर दुकानों (एफपीएस) के डीलरों के मार्जिन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए डीएफपीडी द्वारा निधि जारी की जाती है। पश्चिम बंगाल को वर्ष 2019 से जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

...2/-

(करोड़ में रु.)

वर्ष	कुल
2019-20	2194.86
2020-21	9418.67
2021-22	6162.66
2022-23	7115.17
2023-24	226.32
2024-25	9598.55
2025-26	11977.00

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का आवंटन, राज्य सरकार द्वारा सूचित लाभार्थियों की पहचान के आधार पर किया जाता है। जिलेवार खाद्यान्न आवंटन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की होती है। वित्त वर्ष 2019-20 से पश्चिम बंगाल सरकार को आवंटित खाद्यान्न का विवरण नीचे दिया गया है:

(मात्रा हजार टन में)

वर्ष	चावल	गेहूँ	कुल
2019-20	2033.82	2364.5	4398.32
2020-21	3620.98	3265.87	6886.85
2021-22	3403.66	4327.27	7730.93
2022-23	4654.28	2420.62	7074.9
2023-24	2823.63	1588.25	4411.88
2024-25	2749.41	1711.47	4460.88
2025-26	2567.88	1781.86	4349.74

(ग) और (घ): पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के डिजिटल प्रयासों के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डेटाबेस को पूरी तरह से (100%) डिजिटाइज़ कर दिया गया है। इसके अलावा, 99.9% राशन कार्ड आधार से जुड़े हुए हैं। यह प्रणाली लाभार्थियों को एफपीएस दुकानों पर ई-पीओएस डिवाइस में अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करके और फिर फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा अपनी पात्रता का पूरा खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी ओएनओआरसी, मेरा राशन ऐप, अन्न सहायता आदि जैसी अन्य डिजिटल पहलों का भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य (दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और उत्तर दिनाजपुर जिलों सहित) में पीडीएस के डिजिटलीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

I) आधार सीडिंग- 100%

II) अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन- 1,39,920 (दिसंबर, 2025 के लिए)

III) ई-पीओएस का कार्यान्वयन- 99.9% (अर्थात कुल 21,105 उचित दर दुकानों में से 21084)

इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के तहत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर खाद्यान्न आवंटन, पात्र लाभार्थियों और परिवारों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करना, पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण आदि की परिचालन संबंधी जिम्मेदारियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के पास हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शिकायत निवारण को मजबूत करने के लिए डीएफपीडी ने कई कदम उठाए हैं, जैसे टोल फ्री हेल्पलाइन की उपलब्धता, अन्न सहायता की शुरुआत, एक उन्नत व्हाट्सएप और आईवीआरएस आधारित शिकायत निवारण प्रणाली, जो लाभार्थियों को अपनी भाषा में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती है, और मेरा राशन मोबाइल ऐप, जो लाभार्थियों को अपनी पात्रता, सदस्य और जनसांख्यिकीय विवरण, पिछले महीने के वितरण की स्थिति, नजदीकी एफपीएस का पता लगाने और ऐप के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है।

*****